झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 28 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पद्मावती मंडल, पति - श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम- बेनागाड़िया, पंचायत- पांचालियाँ वार्ड-01, प्रखण्ड+थाना - नाला, जिला - जामताड़ा ।

बनाम

प्रतिवादी DSO जामताड़ा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<u>वाद सं0–28 / 2023</u>

शिकायतकर्ता श्रीमती पदमावती मंडल, पति–श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम–बेनागड़िया, पंचायत–पांजनियाँ, वार्ड नं0–01, प्रखण्ड+थाना –नाला, जिला–जामताड़ा का अपील आवेदन डाक के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन–पत्र में शिकायतकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया है कि राशन डीलर श्रीमती उषा रानी मंडल (अनुज्ञप्ति सं0–02 / 2008) के स्थान पर उनके पति श्री नेपाल मंडल द्वारा PDS दुकान का संचालन किया जा रहा है। परिवाद–पत्र में श्री नेपाल मंडल के विरूद्ध कार्डधारियों को राशन समय पर नहीं दिये जाने, 2–3 कि0ग्रा0 कम राशन देने, राशन का कालाबाजारी करने तथा कार्डधारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में 14 माह से राशन नहीं देने का आरोप लगया गया है।

प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx35

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-05-2023 08/06/23	**वाद सं0–28 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती पदमावती मंडल, पति–श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम–बेनागड़िया, पं0–पांजनियाँ, वार्ड–01, प्र0+थाना– नाला, जिला–जामताड़ा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। आज के सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा का कहना है कि शिकायतकर्ता श्रीमती श्रीमती पदमावती मंडल राशन डीलर से अनाज खुद उठाव नहीं कर रही हैं। जबकी उन्होंने राशन डीलर द्वारा 2 से 3 कि0ग्रा0 कम राशन देने की बात आयोग को प्रेषित शिकायतपत्र में की है। आयोग के पास शिकायतकर्ता का मोबाईल नं0 उपलब्ध नहीं है। अतः आयोग कार्यालय को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता के पते पर आयोग के आदेश की प्रति भेजते हुए। शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने को कहा जाय की आखिर वो 14 महिने से राशन का उठाव डीलर से क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि ग्रामिणों की मदद से संपर्क कर उनकी समस्या को समझें और समाधान की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करें। ~~आयोग के आदेश के अनुपालन पर सुनवाई 15.06.2023 को निर्धारित की जाती है।~~ मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx35

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–28 / 2023

15.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती पदमावती मडंल, पति–श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम–बेनागड़िया, पंचायत–पांजनियाँ, वार्ड–01, प्रखण्ड+थाना–नाला, जिला–जामताड़ा उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, जामताड़ा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई।

Telephonic Conference के माध्यम से हो रही सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा के साथ शिकायतकर्त्ता भी उपस्थित थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने और आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने व्यक्तिगत तौर पर संबंधित गांव का भ्रमण किया और डीलर से पड़ताल की तथा ऑनलाइन तथ्यों की पूरी जाँच की तो पाया कि शिकायतकर्त्ता राशन लेने जा नहीं रही थी। इसलिए उन्हें कई महीने का बकाया राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। 14 माह का राशन उनको नहीं मिल पाया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्त्ता को पिछले दो माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि उन्हें यह लगता है कि डीलर से आपसी विवाद के कारण शिकायतकर्त्ता अनाज नहीं ले रही होगी। ऐसे में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह र्निदेश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत् शिकायतकर्ता को किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त करने की जानकारी दें। आयोग इस निर्देश के साथ वाद को निष्पादित किया जाता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

19.6.23
(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Rachana\Court order.docx5